

विचार बिन्दु

“जीवन के अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जो जीवन के बुरे दिनों में आपके साथ थे।”

- अरविन्द कटोच

राजनैतिक पार्टियां कब तक संविधान की अवज्ञा करती रहेंगी

देश की राजनैतिक पार्टियां कब तक संविधान की अवज्ञा करती रहेंगी। देश की राजनीतिक पार्टियां चाहे वे पक्ष की हों अथवा विपक्ष की एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं कि वे देश के संविधान को खत्म करने पर आमादा हैं। कांग्रेस हो अथवा भाजपा जब भी वे शासन में रहे, उन्होंने संविधान के अमल में चूक की है।

भारत का वर्तमान संविधान भारत के लोगों ने बनाया है। उन्होंने स्वयं को ही इसे अंगीकृत, अधिनियमित कर आत्म अर्पित किया है। संविधान 26 जनवरी, 1950 से लागू हुआ। इस प्रकार हम भारत के लोगों ने भारत को एक सम्पूर्ण, प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य दिया।

प्राचीन काल में भारत में शासक धर्म से बंधे हुये थे। अतः धर्म की पालना होती थी। वर्तमान में यहां संविधान विधान वाद है। संविधान के अधीन जो कानून संसद द्वारा बनाये जाते हैं, लोकतंत्र उससे शासित होता है। इसका अर्थ है, देश धर्म से नहीं रूत ऑफ लॉ से चलता है। हम लोगों ने देश को धर्म निरपेक्ष माना और शासक के धर्म से अलग कर दिया। सभी नागरिकों को लोक व्यवस्था, सदाचार और संविधान में दिये गये अधिकारों व दायित्वों के अधीन अन्तःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता दी। संविधान निर्माताओं ने हमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय देने की प्रतिबद्धता अभिव्यक्त की है।

संविधान में देश धर्म निरपेक्ष है, किन्तु आज धर्म के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे हैं। संविधान ने धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेद का निषेध किया है; किन्तु राजनीतिक पार्टियों ने जाति के आधार पर ही चुनावों में अपने अपने उम्मीदवार खड़े किये। संविधान ने कहा शक्ति का केन्द्र साधारण मतदाता है; किन्तु नेताओं ने मतदाता को शक्तिहीन कर दिया उसे जाति धर्म के नाम पर विभाजित कर दिया। गांधी के समय आन्दोलन अहिंसक थे, वर्तमान में हिंसक होते हैं तोडफोड की जाती है। संविधान ने बाद हमने जागीरदारी वंशवाद को समाप्त किया। राजाओं के राज्य को छीना और जनता को शासक बना दिया; किन्तु राजनेता ही स्वयं तानाशाह होकर शासन चला रहे हैं। राज्यों में ही नहीं राजनैतिक पार्टियां भी वंशवाद में डूबी हुई हैं। आचरण के लिए संविधान के मूल धर्मों से देख रहे हैं, कम पढ़े लिखे लोग कानून बनाने वाली संसद में आते हैं, जहां आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बढ रही है। आचरण की शुद्धता कहीं खो चुकी है। संविधान ने समानता का अधिकार दिया, हमने आरक्षण का विष उसमें डालकर भेदभाव का भूत खडा कर दिया। साधरण भाषा में अल्पसंख्यक अधिभ्राय मेजोरिटी के विपरीत है। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग संविधान में अनुच्छेद 29/30 में धार्मिक

व भाषायी ग्रुप के रूप में आता है। हमने राजनीतिक अल्पसंख्यक पैदा कर दियो। नेशनल माइनोरिटी अधिनियम, 1992 के माध्यम से हमने अल्पसंख्यक को यह कहकर परिभाषित किया कि अल्पसंख्यक वह ग्रुप है, जिसे केन्द्र सरकार अपनी विज्ञप्ति में अल्पसंख्यक घोषित कर दे। कानून जानने वालों इस तइज्जजतलतल परिभाषा को अवैध घोषित कराना चाहिये। टीएमए पाई के केस में सुप्रीम कोर्ट की वृहद पीठ ने अपने 2002 के निर्णय (2002 (8) एससीसी 481) में स्पष्ट कहा है कि धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यक अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत आते हैं और इसका निर्णय राज्यों की इकाई के आधार पर होना चाहिये। यह सच है धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को अपने अपने शिक्षण संस्थानों को संचालित करने का अधिकार है।

लोकतंत्र में मतदान सबसे अधिक मूल्यवान अधिकार है; किन्तु वह भी आज उपभोक्ता वाद में फंस चुका है। मतदाता को आसानी से लुभाया जा सकता है। फ्रीबीज भी तो मतदाता को दिया गया प्रलोभन ही है। जो निष्पक्ष भाव से मतदान करते हैं, अपने को उठा मान रहे हैं। सबके सामने वोट बैंक का प्रश्न है।

सभी राजनैतिक पार्टियां चुनाव घोषणा पत्र जारी करती हैं; किन्तु क्या 5 वर्षों में उन्होंने वायदों की पालना की, कोई पृष्ठने वाला नहीं है। संविधान से शायद वे ऊपर रहे हैं। सबके सामने वोट बैंक का प्रश्न है।

क्या उपरोक्त कुछ घटनायें यह साबित नहीं करती कि राजनीतिक पार्टियां नियमित रूप से संविधान की अवज्ञा कर रही हैं।

आइये हम संविधान में शिक्षा, आरक्षण, भाषा, दलीय प्रणाली, लोकतंत्र में ङ्हिप का प्रयोग नीति निदेशक तत्व, मूल अधिकार व मूल कर्तव्यों आदि के बाबत भी चर्चा करें कि क्या देश की राजनीतिक पार्टियां संविधान के संबंधित प्रावधानों की अवज्ञा तो नहीं कर रही हैं?

संविधान निर्माताओं ने संविधान के मागु होते समय अनुच्छेद 45 में शिक्षा के हेतु निर्देश दिया था कि देश के 14 वर्ष तक के बालकों/ बालिकाओं को संविधान के लागू होने से 10 वर्ष की अवधि में अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा पूरी की जावेगी। किन्तु 10 वर्ष की अवधि में अपने दायित्व को नहीं निभाया, अवधि का 10 वर्ष की अवधि का यह प्रावधान बाध्यकारी था। संविधान के मूल ढांचे का अन्वधान भाग था। इसकी असमर्थता को छिपाने के हेतु निदेशक का 86वां संशोधन अधिनियम, 2002 लाया गया। इसके अनुसार अनुच्छेद 45 में दिये गये 6 वर्ष तक के बालकों के मौलिक अधिकार छीन लिये गये। एक नया अनुच्छेद 21क संविधान में जोड दिया गया और उसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को ही शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया। जिन्हें आरटीआई एक्ट 2009 के शिक्षा देने की व्यवस्था की। इसका यह असर है कि आज भी करोड़ों बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम है, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाये हैं और अनिवार्य शिक्षा की धब्जियां उडाते हुये चारोंहों पर भीख मांगते हुये या ढाबों में काम करते हुये नजर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है कि यदि 14 वर्ष से कम आयु का लडका जेल में है तो भी उसकी शिक्षा की व्यवस्था जेल में की जावेगी।

नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 37 है, जिसमें कहा गया है कि नीति निदेशक तत्व कोर्ट में प्रवर्तनशील नहीं हैं; किन्तु वे भूल जाते हैं कि अनुच्छेद 41 स्पष्ट करता है कि देश के आर्थिक उत्थान और आर्थिक समृद्धि के हेतु, नीति निदेशक तत्वों के निर्देशों की पालना राज्य करेगा अर्थात् संविधान निर्माताओं ने देश की आर्थिक उन्नति पर भरोसा था कि देश की सरकार अपना यह ध्येय 10 वर्षों में प्राप्त कर लेगी। यों भी भाग 3 व भाग 4 के अधिकार मानव अधिकार हैं जो प्रवर्तनीय हैं। अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है कि देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार है चाहे वह तकनीकी हो अथवा उच्च शिक्षा देश अब तो विश्व की तीसरी आर्थिक इकाई बन चुका है। राजस्थान में 12वीं क्लास तक की शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क है। कृपया कानून पढ़ें। संविधान में राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान चुनाव में अनुसूचित जातियों व जनजाति के लोगों को खडे होने का अधिकार अनुच्छेद 334 में दिया है। यह व्यवस्था केवल 10 वर्षों की थी और 10 वर्ष पश्चात वह स्वतः ही समाप्त हो चुका है। यह व्यवस्था संविधान के मूल ढांचे का भाग है; किन्तु प्रत्येक दस वर्ष के बाद इस अवधि 10 वर्ष और बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को किये जाने वाले प्रावधान यानी संविधान संशोधन अधिनियम भी अवैध हैं। राज्य का यह कृत्य संविधान की घोर अवज्ञा है। संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली रिट याचिकाये 'सन 2002 से लम्बित है। समता आन्दोलन समिति, जयपुर की भी एक याचिका है।

नेता लोग आज कल संसद व संसद के बाहर संविधान की पुस्तक लिये दिखाई देते हैं। आरोप लगाते हैं शासन के व्यबिध संविधान को ही समाप्त करना चाहते हैं, पर वे शायद यह नहीं जानते उन्होंने स्वयं संविधान को शायद पढा ही नहीं है। उनके अनुसार 35ए तथा अनुच्छेद 370 कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार देते हैं, उनके ये अधिकार छीन लिये गये हैं। अनुच्छेद 35ए को संविधान की किसी भी पुस्तक में आप ढूँढते ही रह जाओगे, क्योंकि वह संविधान का भाग है ही नहीं।

ङ्हिप का प्रयोग एक प्रक्रिया मात्र है इसके पीछे कानून की शक्ति (दैदबजपवद) नहीं है। इसका प्रयोग वहां संभवतः हो सकता है जहां पार्टी के गिरने का प्रश्न पैदा हो रहा हो; किन्तु संविधान संशोधन के हेतु इसका प्रयोग डेमोक्रेसी की हत्या करना है। मतदान का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व मतदाता का विशेषाधिकार है। गोपनीय मतदान के दर्शन के विपरीत है।

अंग्रेजी के मोह व भाषा विवाद के कारण संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान का मूल प्रारूप अंग्रेजी में बनाया; किन्तु यह भी स्पष्ट कर दिया कि राजभाषा तो हिन्दी ही होगी। संविधान की जेम ङ्वदेजपजनजपवद वॉ प्दकर्ष नाम दिया और देश का नाम प्दकर्ष जीज्प से ठीतंज रखा। जबकि देश का नाम भगवान ङ्वषभदेव के पुत्र भरत के नाम से पुकारा जाता रहा है।

इसके प्रमाण पुराणों महाभारत अनेक धर्मग्रन्थों में मिलते हैं। भारत शब्द का अर्थ है, धर्म में लीन (भा रत)। अंग्रेजी भारत देश में बोलने वाली भाषाओं में (मातृ भाषाओं) में नहीं है। संविधान की आठवीं अनुसूची में देश की 22 भाषायें हैं। हाँ, यहां हजारों बोलियां बोली जाती हैं। हमने कभी विचार नहीं किया कि प्दकर्ष शब्द का क्या अर्थ है। अंग्रेजी-हिन्दी शब्दकोश (भाई, भोयी) में इंडिया का अर्थ भारत है व प्दकर्षद शब्द का अर्थ है अमेरिकन आदिवासी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में एक समय इंडिया उस देश को कहा है जहां अनपढ़ चोर उच्चके आदिवासी रहते थे। संभवतः संविधान निर्माताओं से कहीं चूक हुई है, अतः संविधान संशोधन आवश्यक है। इस हेतु एक प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष विचार हेतु लम्बित है।

सबको सम्यति दे भगवान!

-अतिथि सम्पादक

पानाचन्द जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

युद्ध केवल जन-धन हानि तक ही सीमित नहीं रहकर इसके साइड इफेक्ट जन-धन हानि से भी अति गंभीर होते हैं। युद्ध के चलते जिस तरह के गोला-बारूद और केमिकल युक्त बम, मिसाइलें और ना जाने क्या क्या का उपयोग होता है जो प्रकृति पर दूरगामी नकारात्मक असर छोड़ते हैं। आज भले ही इजरायल-ईरान युद्ध के बीच युद्धविराम हो गया हो और भारत पाक युद्धविराम की तरह इसका श्रेय भी डोनाल्ड ट्रम्प ले रहे हो पर युद्ध के दूरगामी दुष्परिणामों से आने वाली पाढ़ी और प्रकृति किसी को माफ करने वाली नहीं है। हालांकि इजरायल-युद्ध

में दोनों देशों द्वारा ही अपनी अपनी जीत के दावे किये जा रहे हैं पर यह नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो दूसरी ओर आज के समय में युद्ध किसी निर्णायक स्तर पर पहुंच ही जाये यह भी कहा जाना बेमानी होगा। इजरायल-ईरान युद्ध से पहले इजरायल-हमास युद्ध, भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिन्दूर और लंबे समय से लगातार चला आ रहा रूस-यूक्रेन युद्ध हमारे सामने हैं। आज चल रहे इन युद्धों में से किसी को भी निर्णायक स्तर पर पहुंचते हुए नहीं देखा जा सकता और आज के समय के इन युद्धों को निर्णायक स्तर पर ले जाने की बात करना भी बुद्धिमानी नहीं मानी जा सकती। आज का युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं है। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश रूस जैसे बिग गन का पूरे साहस के साथ मुकाबला कर रहा है। देखा जाए तो आज दुनिया के हालात अच्छे नहीं कहे जा सकते। एक ओर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं तो दूसरी ओर दुनिया के देश आंतकवादी गतिविधियों से दोचर हो रहे हैं। बांग्लादेश का तक्ता पलट हमारे सामने है तो पाकिस्तान में औपचारिक रूप से सेना द्वारा सत्ता पर

काबिज होने के समाचार देर सबेर आने ही है। अमेरिका में दूसरे देशों से शरणार्थी के रूप में आये लोग आये दिन नाक में दम कर रहे हैं। योरोपीय देश खासतौर से फ्रांस इसका भुक्तभोगी बल चुका है। देखा जाए तो दुनिया के अधिकांश देश अशांति के हालात से दो चार हो रहे हैं। युद्ध चाहे आज के जमाने का हो या पुराने जमाने का अपने निशान धरती पर लंबे समय तक के लिए छोड़ जाते हैं। यह कहना कि युद्ध इतिहास की बात रह जाता है, गलत होगा। यह विश्लेषण भी युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता कि युद्ध के दौरान अमरुद् देश के इतने करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च हो रहे थे या युद्ध के कारण जनहानि के साथ ही करोड़ों की संपत्ति और युद् सामग्री का नष्ट होना भी एक बात है। इसके साथ ही युद्ध में प्रयुक्त सामग्री खासतौर से युद्ध आयुधों के प्रयोग के कारण प्रकृति पर कितना प्रतिकूल असर पड़ता है वह अकल्पनिय होता है। हालिया युद्धों में किस तरह से मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और दूसरी ओर उन्हें नष्ट करने के प्रयास हुए हैं। इससे केवल क्षेत्र विशेष ही नहीं अपितु वायु मण्डल, पारिस्थिति

तंत्र सहित प्रकृति पर गंभीर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बम, गोलाबारी, घुआ, रासायनिक तत्वों के उपयोग से ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी हुई है। ग्लोबल वार्मिंग पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। यह तो वायुमण्डल के प्रदूषित होने और ग्लोबल वार्मिंग को बात है। दूसरी तरफ रासायनिक बमों के अवशेष और युद्ध के कारण बारूदी सुरंगों या बारूद आदि सामग्री के उपयोग के कारण भूजल, मिट्टी आदि भी प्रदूषित होती है और पानी के प्रदूषित होने और मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। इसके साथ ही जल, धूल और नभ तीनों ही स्थानों पर जैव विविधता प्रभावित होती है। वन्य जीवों के साथ ही पशु-पक्षियों सहित अन्य प्रजातियों की विलुप्ति सहित अनेक दुष्प्रभाव सामने आते हैं। युद्ध के कारण जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव आता है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावित होने के साथ ही युद्ध के कारण जिस तरह से जन-धन हानि और प्रकृति पर विपरीत प्रभाव के साथ ही युद्ध के कारण संसाधनों के

नष्ट होने, उन्हें वापिस दुरुस्त करने, आधारभूत संरचना विकसित करने और कुछ कार्य तत्काल दुरुस्त करने के होते हैं तो कुछ सुधार कार्यों में लंबा समय लगना होता है। इस तरह से युद्ध के कारण केवल दो देशों के बीच तात्कालीक संघर्ष और संघर्ष विराम मात्र नहीं होता और युद्ध का असर केवल जन-धन हानि तक ही सीमित नहीं होता यहां तक कि युद्ध का असर युद्धरत देशों तक ही नहीं होता अपितु युद्ध के कारण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अधिकांश देश प्रभावित होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों पर सीधा असर पड़ता है। आज जिस तरह से विश्व गांव की बात की जाती है ग्लोबल की बात की जाती तो है यह साफ है कि युद्ध केवल युद्धरत देशों ही नहीं अपितु समूचे विश्व को युद्ध की आंच से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में साम्राज्यवादी सोच और अहम् को त्याग कर उसके स्थान पर आपसी समझ और बातचीत से ही समस्या का समाधान महत्वपूर्ण हो जाता है।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा वरिष्ठ लेखक

भारत की पुलिस-का मनोविज्ञान



राम निवास बैरवा

राजस्थान के डी.जी.पी. (डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस) रहे थे डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया। उनका एक लेख उनकी सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बाद और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा का सदस्य बनाये जाने के तत्काल पहले मार्च 2004 में छपा था। 1978-79 में प्रशिक्षण के लिय वे इंग्लैण्ड गये थे वहां की पुलिस व्यवस्था की चर्चा अपने उस लेख में की थी। हां लंदन, स्कॉटलैण्ड यार्ड एवं अन्य महानगरों के पुलिस अधिकारियों से हुई बातचीत एवं जानकारी से दो सदाचरण- सत्यनिष्ठा (ईमानदारी) और कार्यकुशलता तथा दो मूल्य जिनके प्रति प्रतिबद्धता है- राजनीतिक तटस्थता एवं जाति-धर्म निरपेक्षता का उल्लेख करते हुए एक संस्मरण भी बताया था-

”-- मैंने मेनचेस्टर के तत्कालीन चीफ पुलिस कमीश्नर एच. एंडरसन से पूछा कि यदि इंग्लैण्ड का होम सेक्रेटरी (गृहमंत्री) उन्हें किसी अपराधी, जिसके विरुद्ध चालान करने के पुछा सबूत हों, अदालत में चालान न करने की फोन पर सिफारिश करे तो आप क्या करेंगे? उन्होंने आश्चर्य से कहा कि ऐसी परिस्थिति कल्पनीय नहीं है। मैंने कहा, ‘मान लीजिए ऐसा हो जाए?’ उन्होंने बेहिचक जवाब दिया, ‘मैं फोरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दुराचरण जग-जाहिर कर दूंगा, जिसके कारण सरकार को इत्तीफा देने को बाध्य होना पड़ेगा उन्होंने यह भी कहा कि उनको उनके पद से केवल दो परिस्थितियों में ही हटाया जा सकता है; रिस्वत लेने या पागलपन के

कारण। डॉ. पिलानिया जैसे कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है जो रिटायर होने के बाद पुलिस व्यवस्था के बारे में बहुत लिखा है। पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए कई समितियों, आयोगों ने कई सिफारिशें भी की हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ नये थाने खोलना, संचार व्यवस्थाओं में सुधार और पदोन्नति आदि सेवा शर्तों में सुधार तक ही सीमित रहा है। हालांकि, पुलिस की ड्यूटी की अवस्थाओं, उसका उन पर पड़ने वाले मानसिक असर की बातें भी की है- परन्तु किसी भी रिपोर्ट में पुलिस के कॉन्स्टेबल से लेकर उच्चतम पदों पर बैठे आई.पी.एस. अधिकारियों तक के आमजन के प्रति व्यवहार, अपराधों और अपराधियों के प्रति मनोदशा, मानसिकता के बारे में कभी कुछ नहीं कहा गया। नतीजा, यह है कि अच्छे वेतन, सुविधाओं के बावजूद पुलिस की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं हो पाया है। इस प्रकार की मानसिकता के कारणों की पड़ताल आवश्यक है।

1970 के दशक में एक फिल्म आइ थी “निशान्त”। सामन्तवादी समाज के परिवेश के साथ वर्तमान को भी जोडा गया था उस फिल्म में। उसके कथानक में जमींदार के परिवार के कुछ युवक एक अध्यापक की पत्नी को अपहरण करके ले जाते हैं और उसे निरन्तर बलात्कार का शिकार बनाते हैं, जबकि वे प्रतिदिन अपने खेतों में काम करने वाली औरतों, लडकियों का नियमित उपभोग तो करते ही हैं। अध्यापक की पत्नी के अपहरण को क्यों केंद्र में रखा गया है? इसलिए कि वह समाज को, प्रशासन को आन्दोलित करता है। इसी से पुलिस के व्यवहारिक मनोविज्ञान को समझा जा सकता है। खेतों में काम करने वाली औरतों, लडकियों से बलात्कार समाज को, प्रशासन को आन्दोलित नहीं करता। दरअसल, हमारा भारतीय समाज सामन्तवादी समाज व्यवस्था में जी रहा है। उसमें, नीची, पिछडी, आदिवासी, वनवासी लोगों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, उनका शोषण, उनकी औरतों-युवतियों, लडकियों का शारीरिक शोषण

सामान्य बात है। पुलिस और प्रशासन उसे अपराध नहीं मानता, उनका कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। इसके उलट, उन्हें इन सबका आदि या हेतुव्यूअल मानकर उनकी अपहेलना कर दी जाती है, क्योंकि उनके साथ ऐसा व्यवहार करने वाले हमारे सभ्य समाज के वे ही लोग हैं जो किसी न किसी आर्थिक-राजनीतिक या प्रशासनिक प्रयोजन से उनके सम्पर्क में आते हैं।

इनमें उनके साथ सुरक्षा के नाम पर साथ चलने वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी होते हैं। अतः उनके प्रति होने वाला प्रत्येक दुर्व्यवहार नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और स्वयं पुलिस को ही अपराधी बनाते हैं, अतः आमतौर पर उन लोगों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार नेताओं, प्रशासनिक और पुलिस की सम्पूर्ण व्यवस्था भी उसी समंती समझ की प्रतिछाया है, रैप्लिका है, अतः समाज के विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों के प्रति पुलिस का व्यवहार भी उसी के अनुरूप होता है। अगर आप पुलिस थाने में कोई शिकायत लेकर जाते हैं तो अन्वहेत ही वे आपकी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक तथा राजनैतिक हैसियत का आंकलन कर लेते हैं तथा उसी अनुरूप आपके प्रति व्यवहार तय कर लेते हैं। दूसरे, पुलिस का एक और मनोवैज्ञानिक सोच है। वह है, देश का हरेक नागरिक, नागरिक होने के पहले एक अपराधी है। यह सोच लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा संवैधानिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। वैसे तो भारत के विद्यमान सभी कानूनों में "चूककर्ता-डिफॉल्टर" बनाये जाने के प्रावधानों लिखे गये हैं। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी सजा देने को तत्पर रहता है और बचने-बचाने के लिए रिश्तकों का लेन-देन किया जाता है। लेकिन पुलिस भी नजर में आप हर कदम पर अपराधी है, चाहे आप सडक पर चल रहे हों या किसी सार्वजनिक स्थान पर अपनी मानसिक शक्ति के कुछ परत ढूँढ रहे हों, और कुछ नहीं तो आवारागद्दी की धाराएं बताना शुरू कर देंगे, ट्रैफिक

पुलिस किसी तरह से आपको चालान की धमकी देकर और आपका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लेने की धमकी से आपको अपराधी बना ही देंगे। यदि आप किसी पुलिस के कॉन्स्टेबल से भी नियम-कानून की बात कहेंगे तो उसका सीधा सा रीबीला जवाब होता है-“हमें कानून सिखा रहे हो क्या?” ऊपर के अधिकारी तो जजों से भी ज्यादा कानून के ज्ञाता मानते हैं अपने आपको- आप अपनी बात कहने की कोशिश करेंगे तो आप "शान्ति भंग" के लिए नहीं तो राजकार्य में दखल देने के अपराधी बना दिये जायेंगे।

आप अगर अपनी शिकायत की कोई अन्य प्रकार की जानकारी लेना चाहेंगे तो मौखिक तरीके से ही बताया जायेगा- लिखित में आपको कुछ नहीं देंगे। लिखित में आपको सिर्फ "थान में हाजिर होने" का नोटिस ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस में दर्ज आपके किसी भी अपराध को न्यायालय तक नहीं बदल सकता है? आपको अदालतों के चक्कर लगाने की पड़ेंगे और जेल में बंद रहना पडा तो वो भाग्य। राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा बकी लोगों को यही सब भुगतना पड़ता है। पुलिस यह भी जानती है कि उनके चंगुल में फंसा हरेक आदमी सुप्रीम कोर्ट, हाई-कोर्ट तो दूर, सेशन कोर्ट तक भी जाने की फीस नहीं जुटा पाता है। यह भी पुलिस की मानसिकता का एक तत्व है। इसी तरह के व्यवहार-व्यवस्था के चलते आज भारत में -दिसंबर 2022 तक- कुल 5,73,220 कैदियों में 4,34,302 यानि कि 75.8 प्रतिशत विचाराधीन कैदी हैं। इनमें 1,63,000 ओबीसी से, 1,00,000 अनुसूचित जातियों, 54,000 अनुसूचित जनजातियों के तथा 1,26,000 अन्य वर्गों जातियों से संबंधित विचाराधीन कैदी थे। यह पुलिस की उसी मनोदशा को दर्शाता है। आई एफ, आई पी एस अधिकारियों से विवेक का इस्तेमाल करके, जिसे एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहा जाता है, निर्णय लेने की व्यवहार करने की बात होनी चाहिए जो यहां तो कहीं भी देखने को नहीं मिलती।

इंगलैंड में मेट्रोपोलिटन पुलिस एक्ट-1829 में बनाया गया था, लेकिन भारत का पुलिस एक्ट, 1861 ऐसा नहीं बनाया गया क्योंकि भारत में इंगलिश कानून जैसा कानून अंग्रेजों के लिए सुविधाजनक नहीं था।

वैसा कानून बनाना आज भी सरकारों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। 1861 के पुलिस कानून को बदलना सरकारों के लिए सुविधाजनक नहीं है, बेशक, 1860 की भारतीय दंड संहिता, 1872 के साक्ष्य अधिनियम और 1973 के क्रॉमिगल प्रोसीजर कोड, इन तीनों को 2023 में बदलकर नये नामों से जारी कर दिया गया है, उन्त तीनों कानूनों के लिए काम करने वाली पुलिस का 1861 का कानून नहीं बदला जा सकता है और न ही बदला जायेगा। क्यों नहीं बदला जा सकता? स्वयं पिलानिया जी ने ही स्पष्ट किया है- ".....ब्रिटिश राज में से 1861 के पुलिस एक्ट का जिक्र करना प्रासंगिक होगा जिसमें लिखा है- पुलिस सरकार की नौकर है, कानून की नहीं। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि पुलिस सत्तारूढ पार्टी की नौकर है। यह एक अत्यंत भयानक एवं अलोकतांत्रिक अवधारणा है कि पुलिस कानून की नहीं सरकार की नौकर है। क्या सरकार कानून से ऊपर होती है? सरकार की इच्छानुसार, लाचार पुलिस कानून तोड़ती-मरोडती रहती है। पुलिस कर्मचारियों के सिर पर हर समय ट्रांसफर की तलवार लटकती रहती है। जब भी नई सरकार सत्ता में आती है, थोक में ट्रांसफर किये जाते हैं।

कोई राज्य हो, हर जगह यही होता है। पुलिस प्रशिक्षण में दिये जाने वाले तटस्थता, निस्पष्टता जवाबदेही, गरिमा, मानवीय अधिकार, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता संबंधी प्रवर्चन निरर्थक हो जाते हैं।"और डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया, पुलिस महानिदेश के सेवानिवृति के बाद की स्वीकारोक्ति

पुलिस प्रशासन के धरातल पर तो कोई बदलाव नहीं ला सकती, लेकिन बुद्धिजीवियों को दिल बहलाने का अच्छा मसला तो है ही देती है।

-राम निवास बैरवा, पूर्व

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्ता।

राशिफल शुक्रवार 27 जून, 2025

आषाढ मास शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, शुक्रवार, विक्रम सम्वत् 2082, पुर्नवसु नक्षत्र प्रातः 7.22 तक, व्याघात योग रात्रि 9.10 तक, कौलव करण दिन 11.20 तक, चन्द्रमा आज कर्क राशि में संचार करेगा।
ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में संचार करेगा।
आज सवार्थ सिद्धि योग प्रातः 7.22 तक है। राजयोग प्रातः 7.22 से सूर्योदय तक है। आज रथ यात्रा उत्सव, मेला आषाढी दशहरा श्रीजगदीश जी रथयात्रा जगन्नाथपुरी है। आज मुहर्रम मु.मास 1 हिजरी सन् 1447 आरम्भ होगा।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चट सूर्योदय से 7.22 तक, लाभ-अमृत 7.22 से 10.47 तक, शुभ 12.29 से 2.12 तक, चट 5.37 से सूर्यास्त तक
राहुकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:39, सूर्यास्त 7:20

मेष
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनावरुन बनने लेंगे। स्वास्थ्यका ध्यान रखें।

वृष
मित्रों-रिश्तेदारों के कारण समय खराब हो सकता है। व्यक्तिगत कार्यों के कारण थकावदी रहेंगे। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मन में असंतोष बन रहेगा।

मिथुन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों में आ रही परेशानियां दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगी। नवीकृत कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बने लेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यथान हो सकता है। आज बनने कार्य विगड़ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में देरटना का भय है।

तुला
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में जित सफलता मिलेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढेगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

धनु
परिजनों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

मकर
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढेंगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

मीन
आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बने लेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढेंगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।